HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए ट्यूबैल से स्टार्टर व केबिल चोरी करने के मामले में एक अभियुक्त को 01 वर्ष 20 दिन का कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए कल दिनांक 04.07.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा ट्यूबैल से स्टार्टर व केबिल चोरी करने के मामले में एक अभियुक्त को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 04.06.2024 को अभियुक्त शमशेर पुत्र जमील निवासी असराला थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद द्वारा ट्यूबैल से स्टार्टर व केबिल चोरी करने के सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 409/2024 धारा 380, 411 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 18.07.2024 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 04.07.2025 में अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय सीजेएम हापुड़ द्वारा 01 वर्ष 20 दिन का कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री घनश्याम जी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री जतिन शर्मा एवं पैरोकार का0 रोहित कुमार व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 कृष्णकांत का विशेष योगदान रहा।